(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 138/2024

जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2024/259

1. रमेश कुमार दत्तक पुत्र बलदेव
2. सतीश कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद
3. मनोज कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद
4. उमराव शर्मा पुत्र शंकर
5. औमप्रकाश पुत्र शंकर
6. श्योदत्त पुत्र शंकर
7. औमप्रकाश पुत्र हजारी
8. नर्मदा पत्नी हजारी
9. बलराम पुत्र हजारी
10. प्रवीण कुमार
11. साहील पुत्रान निरजन समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र मनोहर सिंह
2. उम्मेद सिंह पुत्र लन्छुराम
3. औमप्रकाश दत्तक पुत्र भूराराम
4. चन्द्रभान पुत्र मनोहर सिंह
5. धर्मवीर पुत्र मनोहर सिंह
6. नन्दलाल पुत्र सरदाराराम
7. सन्दीप
8. बिजेश पुत्रान बुधराम
9. ईन्द्रावति पत्नी बुधराम
10. गुड्डी
11. मुन्नी
12. सुनिता
13. एकता
14. भरपाई पत्नी सुरत सिंह
15. मुकेश देवी पत्नी विक्रम सिंह
16. मन्जीत पुत्र सरदारारामं

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

17. मुनेश पुत्री मनोहर सिंह
18. महेश पुत्री मनोहर सिंह
19. मानकौर पुत्री मनोहर सिंह
20. विक्रम सिंह पुत्र छोटुराम
21. शकुन्तला पुत्री मनोहर सिंह
22. शान्ति पत्नी मनोहर सिंह
23. शीला पुत्री मनोहर सिंह
24. सुबेसिंह पुत्र लन्छुराम समस्त जाति जाट निवासीगण बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
25. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
26. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

..................अप्रार्थीगण

<u>आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने</u>

<u>अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता :–</u>

प्रार्थीगण की ओर से – श्री प्रविन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक :– ....

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स० 16 के ख० न0 117 रकबा 1.44 है0 ख० न० 118 रकबा 1.64 है० ख० न० 119 रकबा 1.39है० ख० न० 120 रकबा 0.94 है० ख० न० 121 रकबा 1.43 है0 ख० न० 122 रकबा 0.77 है० ख० न० 123 रकबा 1.01 है० ख० न० 124 रकबा 2.07 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 10.69 है० भूमि में प्रार्थी स० 1 का 1/12 भाग व प्रार्थी स० 2 व 3 का 1/18 हिस्सा व प्रार्थी स० 4, 5, 6 का 1/9 हिस्सा व प्रार्थी स० 7, 8, 9 का 1/36 हिस्सा भूमि के रिकार्डेड खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड व कब्जे कास्त है प्रार्थीगण ने भूमि ख० न० 121 में अपने मकान व कुआ बनाकर आबाद है।
2. यह कि वाके ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना [illegible]झुनू राज० में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता [illegible] रकबा 2.51 है0 ख० न० 112 रकबा 2.78है0 ख० न0 116 रकबा 1.24 है[illegible] 125 रकबा 1.47है० ख० न० 148/90 रकबा 0.07 है० ख० न० 50 रकबा [illegible].26 है० ख० न० 62 रकबा 2.13 है0 ख० न० 90 रकबा 1.69 है० ख० न० 91 रक[illegible] 1.65 है0 ख० न0 93 रकबा 0.50 है०

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

ख० न० 94 रकबा 1.04 है० ख० न० 95 रकबा 0.61 है० ख० न० 96 रकबा 0.64 है0। कुल किता 13 कुल रकबा 16.23 है० भूमि अप्रार्थी स० 1 ल० 18 दर्ज रिकार्ड खातेदार कास्तकार है उक्त वाद वर्णित भूमि के ख० न० 116 रकबा 1.24 है0 भूमि के उतर दिशा में बुहाना से महेन्द्रगढ जाने वाले रास्ता /सड़क मौजुद है।

3. यह कि भूमि ख० न० 117, 118, 119,120 के उत्तर में ख० न0 116 रकबा 1.24 है0 भूमि स्थित है तथा ख० न० 116 रकबा 1.24 है0 के उत्तर दिशा में बुहाना से महेन्द्रगढ जाने वाली सड़क स्थित है प्रार्थीगण ख० न० 116 के पूर्वी मेड के सहारे सहारे अपना आना जाना अपने कृषि यंत्र लाना व ले जाना अपने खेतो की बुवाई व जुताई आदि करने के ट्रैक्टर को लाने ले जाने तथा अपने कुआ की मोटर पम्प आदि को लाने व ले जाने आदि सभी कार्य ख० न0 116 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे आना जाना करते रहे है तथा वर्तमान मे भी कर रहे है।

4. यह कि प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है प्रार्थीगण को भूमि ख० न0 116 रकबा 1.24 है0 भूमि में से नजरी नक्शे के अनुसार पूर्व मेड के सहारे सहारे उतर से दक्षिण की तरफ ख० न0 120 तक 13 फुट चौड़ा रास्ता अथवा ख० न० 116 की पश्चिम मेड के सहारे सहारे नजरी नक्शा के अनुसार 13 फुट चौड़ा रास्ता ख० न० 117 तक रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थीगण ने अपने मकानं, कुआ ख० न0 121 में बना रखे है परन्तु ख० न० 120 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है।

5. यह कि अप्रार्थीगण पिछले कई दिनों से प्रार्थीगण को रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिस कारण से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है जो कि सावधी है।

6. यह कि प्रार्थीगण भूमि ख० न० 116 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे उतर से दक्षिण की तरफ ख० न० 120 तक रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पिछले दिनों उक्त रास्ते को बन्द करने से काफी हकतलफी है जिस कारण से प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

7. यह कि प्रार्थीगण को अपने खेत की बुआई, जुताई अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने तथा अपने बच्चों को स्कूल आदि में भेजने अथवा लाने व ले जाने के लिए नजरी नक्शा के मुताबिक भूमि ख० न० 116 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ ख0न0 117 तक 13 फुट चौड़ा रास्ता अथवा ख० न० 116 रकबा 1.24 है0 भूमि की पूर्वी मेड के सहारे सहारे उतर से दक्षिण की तरफ 13 फुट चौड़ा रास्ता ख०न० 120 तक कटवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश की गई है यदि प्रार्थीगण के उक्त रास्ते संबंधि विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में कैद बनकर रह जायेगा। तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की बुवाई जुताई समय पर नहीं हो पायेगी तथा भूमि सीजन में यदि प्रार्थीगण की बौरबैल मोटर खराब हो गई तो प्रार्थीगण की खड़ी फसल बर्बाद हो जायेगी इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

८. यह कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र राज० काश्त० अधि० 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत पेश किया है जिसकी शर्त मुताबिक डी.एल.सी. रेट के दुगुने रूपये अदा करने को तैयार है

९. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण रिकार्ड के साथ नजरी नक्शा व प्रार्थीगण का शपथ पत्र संलग्न है जो कि प्रार्थना पत्र का भाग रहेगा।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

(क). कि प्रार्थीगण को भूमि ख० न० 121 में आने जाने के लिए भूमि ख० न० 116 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ 13 फुट चौड़ा रास्ता ख० न० 120 तक राजस्व रिकार्ड में नजरी नक्शा के अनुसार अमल दरामद किया जावे अथवा ख० न० 117, 118, 119 में आने जाने के लिए ख० न० 116 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण में ख० न० 117 तक 13 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे।

(1) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक से सम्यक् रूप से होकर प्राप्त हुई इनकी ओर से कोई उपस्थित नही आया इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 20.06.2025 को अमल में लाई जाती है।

(2) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 288 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1817 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) आवेदक द्वारा वाके ग्राम बृजपुरा प्रार्थी को अपने खेत ख0 न0 121 में आने जाने के लिए भूमि ख0 न0 116 की पूर्वी मेंड के सहारे सहारे उत्त्तर से दक्षिण की तरफ 13 फुट चौड़ा रास्ता ख0 न0 120 तक राजस्व रिकार्ड में नजरी नक्शा के अनुसार अथवा ख0 न0 117, 118, 119 में आने जाने के लिए ख0 न0 116 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उत्त्तर से दक्षिण में ख0 न0 117 तक 13 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न है।

(2) यह कि इन रास्तो के अलावा अन्य कोई रास्ता सुलभ एवं नजदीक नही है। नजरी नक्शा सलग्न है।

(3) यह कि विशेष रूप से किसी अन्य खाते [illegible] जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में [illegible] अभाव सिद्ध नही होता है आवेदक का वर्तमान मे ख0 न0 [illegible] सहारे सहारे आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

का रास्ता है। ख0 न0 125 व ख0 न0 116 की खातेदारी एक ही खाते में दर्ज रिकार्ड है।

(4) प्रस्तावित रास्ता 30 फुट से अधिक चौडा है. प्रस्तावित रास्ते से आवेदक की भूमि तक ख0 न0 116 की पश्चिमी सीमा के जिसकी लम्बाई 68 मीटर है। तथा प्रस्तावित रास्ते में 6 पेड आते है। तथा ख0 न0 116 की पूर्वी सीमा ख0 न0 125 की पश्चिमी सीमा की दुरी 70 मीटर है. इसमे किसी प्रकार का कोई अवरोध नही है। जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया गया है।

(5) यह कि प्रस्तावित रास्ते की लिए प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल व डी.एल.सी के दोगुने प्रतिकर की गणना निम्नानुसार है –

(i) ख0 न0 116 की पश्चिमी सीमा की दुरी = 68 मीटर लघुतम 68 मी0 x 04 मी0 = 272 वर्ग मीटर डी.एल.सी से गणना 2 x 0.0272 x 823000 = 44772 रू है।

(ii) ख0 न0 116 की पुवी व 125 की पश्चिमी सीमा की दुरी = 70 मीटर लघुतम 70 मी0 x 04 मी0 = 280 वर्ग मीटर डी.एल.सी से गणना 2 x 0.0280 x 823000 = 46088 रू है।

(iii) ख0 न0 125 की पश्चिमी सीमा की दुरी = 70 मीटर सुगम व लघुतम 70 मी0 x 04 मी0 = 280 वर्ग मीटर डी.एल.सी से गणना 2 x 0.0280 x 823000 = 46088 रू है।

(6) प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त ख0 न0 116 की पश्चिमी सीमा में 6 पेड़ो को हटाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता व प्राकृतिक हानि होगी।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। तहसीलदार की रिर्पोट पेश है। वैकल्पिक रास्तों का स्पष्ट अभाव बताया है तथा रास्ता प्रचलित है। 251A रास्ते का प्रकरण 1 वर्ष से Panding पर है।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थीगण की जोत में स्थित भूमि ख0 न0 121 में आने जाने के लिए ख0 न0 125 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 13 फुट चौड़ा रास्ता ख0 न0 120 तक जो सुगम तथा वर्तमान में प्रचलित भी है तथा सबसे कम दुरी पर पश्चिम दिशा वाला रास्ता नजदीक लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नही है। जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। जो भूमि ख0 न0 125 के पश्चिमी मेढ के सहारे सहारे 13 फुट चौड़ा रास्ता ख0 न0 120 तक कायम कर राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी जिसके बदले में अप्रार्थीगण को डी.एल.सी का दुगुना या जमीन के बदले जमीन देकर भुगतान करे। तहसीलदार राशि की गणना निर्णय के 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे। रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो कि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

आदेश

''न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम वाके ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख0 न0 125 के पश्चिमी तरफ सबसे कम दुरी पर सुगम तथा वर्तमान में प्रचलित वाला रास्ता नजदीक लगता है जो भूमि ख0 न0 125 के पश्चिमी मेढ के सहारे सहारे 13 फुट चौड़ा रास्ता ख0 न0 120 तक कायम कर राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज कर अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''सार्वजनिक रास्ते'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम ढाणी बृजपुरा की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास [illegible]

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:36 IST
Reason: SelfAttested